छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-03

<u>रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त, 2017</u>

(श्रावण 12, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 03 से 14 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 02 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 33 तारांकित एवं 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गये एवं श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया ।

(अनुपूरक कार्य सूची जारी की गई)

3. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने अनुपूरक कार्यसूची जारी किये जाने के संबंध में उल्लेख किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016, तथा

(2) श्रीमती रमशीला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारी संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 **पटल पर रखे।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 18 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री बघेल लखेश्वर (उपस्थित रहकर भी सूचना नहीं पढ़ी) (सूचना प्रस्तुत नहीं)

(2) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने प्रदेश में खाद की बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, जय सिंह अग्रवाल, दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, मनोज सिंह मंडावी, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, कवासी लखमा, सियाराम कौशिक, भोलाराम साहू, राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा गिरवर जंघेल एवं अमित अजीत जोगी।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय, सियाराम कौशिक, सदस्य गर्भगृह में बैठ गये।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि गर्भगृह में आये हुए सदस्यों का नाम उन्होंने पढ़कर सुनाया था । कृपया वे सदन से बाहर चले जायें।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
6.	श्री शिवरतन शर्मा
12.	श्री देवजी भाई पटेल
13.	श्री देवजी भाई पटेल
16.	श्री संतोष बाफना
18.	डॉ. विमल चोपड़ा, श्री केशव चंद्रा

8. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 3 अगस्त, 2017 को उन्होंने सदन में 18 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री संतराम नेताम
(3) श्री उमेश पटेल
(4) श्री दलेश्वर साहू
(5) श्री शंकर ध्रुवा
(6) श्री अशोक साहू
(7) श्री बघेल लखेश्वर
(8) श्री नवीन मारकण्डेय
(9) डॉ. विमल चोपड़ा
(10) श्री गिरवर जंघेल
(11) श्री अरूण वोरा
(12) श्री अमरजीत भगत
(13) श्री सियाराम भगत
(14) श्री मोहन मरकाम
(15) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(16) श्री सत्यनारायण शर्मा
(17) डॉ. खिलावन साहू
(18) श्री श्रवण मरकाम

(सदन की कार्यवाही 12.22 बजे स्थगित होकर 12.37 बजे पुन: समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(निलंबित सदस्य गर्भगृह में निरंतर नारे लगाते रहे।)

9. वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

मानननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार सात सौ सतहत्तर करोड़, संतावन लाख, चौबीस हजार, चार सौ तिरपन रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ. खिलावन साहू, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक-17 सन् 2017)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक-17 सन् 2017) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक-17 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

(1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) एवं

(2) छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)

की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की ।

(निलंबित सदस्य गर्भगृह में निरंतर नारे लगाते रहे।)

1. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

4. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

5. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

6. छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017)

श्रीमती रमशीला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्रीमती रमशीला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(निलंबित सदस्य गर्भगृह में निरंतर नारे लगाते रहे।)

7. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 30 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश में वृद्धि की घोषणा की।)

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से अनुरोध किया कि नियमों के पालन में वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

9. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 17 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 54 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

12. पत्रों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से निम्नलिखित साहित्य को उनकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही नियम शिथिल कर सभा के पटल पर रखे जाने के लिए अनुमति प्रदान की :-

(i) वर्ष 2016-17 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16

(iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (भाग-2) तथा

(iv) छत्तीसगढ़ सोन्डिहा कोल कंपनी लिमिटेड (सी.एम.डी.सी एवं लूमेन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड) का संयुक्त उपक्रम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2016-17 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सोन्डिहा कोल कंपनी लिमिटेड (सी.एम.डी.सी एवं लूमेन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड) का संयुक्त उपक्रम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15,

(3) श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16, तथा

(4) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (भाग-2) **पटल पर रखे।**

13. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य डॉ. विमल चोपड़ा छत्तीसगढ़ विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27/11/2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(समस्त कार्यवाही के दौरान निलंबित सदस्यगण नारेबाजी करते रहे।)

14. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

अपराहन 1.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा